राजकीय महाविद्यालय विकास समिति (पंजीकृत)

श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ

फार्म शुल्क :– रू0 200/– *फार्म नम्बर :–*

निविदा प्रपत्र विकय की अंतिम तिथि 30.05.2023 को दोपहर 01.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 30.05.2023 दोपहर 03.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि 31.05.2023 दोपहर 01.00 बजे तक

–:: सफाई ठेका निविदा आवेदन फार्म ::–

01	आवेदक का पूरा नाम	
02	आवेदक का पत्र व्यवहार करने का पता	
03	फोन/मोबाईल नम्बर	
04	ठेके की अवधि	31 मार्च 2024 तक
05	खुली निविदा कमांकः 972–975 दिनांक :– 24.05.2023	
06	निविदा शुल्क रू0 200/–	रसीद संख्या दिनांक
07	अमानत राशि	रू0 5000/– (अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र)
08	अमानत राशि जमा विवरण नकद/डीडी	डीडी/रसीद नं. दिनांक
09	हमारे द्वारा सफाईकर्मियों से महाविद्यालय विकास समिति की शर्तोनुसार एक वर्ष की अनुबन्ध राशि निम्नानुसार पर कार्य करने के लिए तैयार है	अंकों में :– शब्दों में :
10	महाविद्यालय में सफाई कार्य सम्पादन का समस्त कार्य विवरण एवं संलग्न शर्तो को मेरे द्वारा ध्यानपूर्वक पढ लिया गया है एवं समझ ली गई है तथा मुझे पूर्णतया मंजूर है जिसे हस्ताक्षर सहित उक्त आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न कर पुनः प्रस्तुत है ।	
11	किसी भी विवाद के समय अध्यक्ष, महाविद्यालय विकास समिति का निर्णय अंतिम होगा जो पूर्णतया मान्य और मंजूर होगा जिसकी मैं पूर्ण पालना करूगा ।	
12	ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की फोटो व बायोडेटा विवरण नाम पते पहचान आदि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उपलब्ध कराकर ही कार्य प्रारम्भ करूगा ।	

संलग्न :–

1 कार्य के नियम व शर्ते (01 से 04 तक)

2 धरोहर राशि रू0 5000/–डीडी/रसीद

( )

आवेदक के हस्ताक्षर
पूर्ण नाम व पूरा पता

राजकीय महाविद्यालय विकास समिति (पंजीकृत)

श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ

सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराकर सफाई का कार्य कराने हेतु प्रपत्र अ

ठेके की शर्ते व नियम निविदा सूचना दिनांक 24.05.2023

टेण्डर देने वाले को इन सभी शर्तो एवं कार्यो के विवरण को सावधानीपूर्वक पढ लेना चाहिये टेण्डर समय में इनका पूर्णतया पालन करना चाहिये । यदि किसी टेन्डर देने वाले को किसी शर्त व कार्य विषय में संदेह हो तो अपना टेन्डर प्रस्तुत करने से पहले इसके बारे में अधोहस्ताक्षरकर्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये । संदेह की हालत में अध्यक्ष द्वारा किसी भी शर्त की व्याख्या व विशेष विवरण के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम होगा और टेन्डर देने वाले को मान्य होगा :–

1	सफाई ठेके की अवधि एक वर्ष की होगी ।
2	निविदाये अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है एवं निर्धारित प्रपत्र में ही भेजी जावे । निर्धारित प्रपत्र के अतिरिक्त अन्य प्रपत्र पर दी गई दरे स्वीकार नही होगी ।
3	टेण्डर एक मजबूत लिफाफे में बन्द करके उस पर प्रमुख रूप से (सफाई ठेका निविदा) अंकित करके इस कार्यालय में निश्चित दिनांक एवं समय पर भेजना होगा ।
4	टेण्डर देने वाले को दरे व अन्य विवरण स्वच्छ अक्षरों में लिखना होगा शब्दों को मिटाने, परिवर्तन करने, सुधारने आदि की स्थिति में प्रत्येक पर टेण्डर देने वाले के पूर्ण हस्ताक्षर होगें । शब्द पर शब्द नही लिखा जावे । ओवर राईटिंग नही करें बल्कि काट कर पुनः लिखा जा सकता है ।
5	महाविद्यालय भवन व परिसर की सफाई संबंधित महाविद्यालय प्रभारी द्वारा निर्धारित मापदण्ड निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से समयानुसार करनी होगी ।
6	महाविद्यालय के महिला शौचालय एवं मुत्रालयों की सफाई का कार्य व्यवस्था हेतु ठेकेदार द्वारा महिला श्रमिक ही उपलब्ध करानी होगी ।
7	सफाई व्यवस्था हेतु 5 सफाई कर्मचारी प्रतिदिन उपलब्ध कराने होगें । ठेकेदार को स्वीपर सफाईकर्मी ही उपलब्ध कराने होगें जो प्राचार्य के निर्देशानुसार कार्य करेगें । सफाई कमियों से प्रतिदिन महाविद्यालय के पूर्ण परिसर, कक्षाकक्ष, कार्यालय, स्टोर महाविद्यालय की सर्म्पूण बाउन्डरी की सफाई झाडू, पोचा व पोचा वाईपर से लगाया जावेगा एवं सफाई के बाद भी दो सफाई कर्मचारी कार्यालय समय में उपलब्ध रहेगे व निर्देशानुसार कार्य करेगें ।
8	महाविद्यालय के समस्त शौचालय एवं मुत्रालयों की सफाई एवं धुलाई नियमित रूप से करनी होगी ।
9	सफाई ठेके के लिए मान्य ठेकेदार को वार्षिक दर से स्वीकृत राशि के आधार पर अनुपातिक रूप से मासिक बिल का भुगतान बिल के प्रमाणीकरण के पश्चात् 10 दिवस मे देय होगा । । उपरोक्त भुगतान उस माह का कार्य पूर्णतया पूरा एवं संतोषप्रद होने पर अथवा उसी अनुपात में कटोती की जाकर भुगतान किया जायेगा । कार्य का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण महाविद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत अधिकारी से किया जायेगा ।
10	स्वीकृत ठेका किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट करने का ठेकेदार को कोई अधिकार नही होगा । समय पर निर्देशानुसार सफाई कार्य नही कराने या बन्द करने की दशा में अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के खर्चे पर उस कार्य को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था से करवा सकता है और उस पर लगा हुआ पूर्ण खर्च/व्यय ठेकेदार से वसूली योग्य होगा ।
11	सरकार अथवा ठेकेदार द्वारा यदि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो किशनगढ स्थित न्यायालय क्षेत्र में ही किया जा सकेगा ।
12	ठेकेदार को निविदा प्रपत्र एवं संलग्न की गई ठेका शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होगें ठेकेदार को निविदा के साथ अमानत राशि डी0डी0 अथवा नकद राशि की ली गई रसीद जमा करानी होगी । अमानत राशि रू0 5000/– होगी । सफल निविदादाता के साथ ही दी गई अमानत राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा असफल निविदादाता की अमानत राशि ठेका कार्य प्रारम्भ होने के एक सप्ताह बाद लोटाई जायेगी ।
13	अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर महाविद्यालय विकास समिति द्वारा कोई ब्याज देय नही होगा ।
14	जिस निविदादाता के पक्ष में ठेका स्वीकृत होगा उसे ठेके की स्वीकृत राशि का पांच प्रतिशत राशि प्रतिभूति बैक एफ.डी./नकद द्वारा एक सप्ताह मे जमा करानी होगी तथा नियमानुसार राशि रूपये पाच सो के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा इस राशि को ठेके की कार्य अवधि समाप्त होने के उपरान्त तीन माह में अन्य कोई बकाया नही होने पर एवं ठेके की अवधि में कार्य पूर्ण संतोषप्रद की स्थिति में ठेकेदार को लौटा दी जायेगी । कार्य संतोषप्रद नही होने पर या समय से पूर्व अनुबन्ध समाप्त करने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी ।
15	किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, महाविद्यालय विकास समिति किशनगढ के पास सुरक्षित रहेगा एवं यदि निर्धारित समय पर प्रतिभूति राशि जमा नही कराई जाती है तो अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी एवं निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति को होगा ।
16	यदि अनुबन्धित ठेकेदार अनुबन्ध एवं टेण्डर की शर्तो के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहता है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी और उसके लिए ठेकेदार को न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही होगा ।
17	आयकर अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार ठेकेदार के बिलों में आयकर कटौति की जायेगी ।
18	अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति या उसकी और से अधिकृत अधिकारी किसी भी समय सफाई कार्य का निरीक्षण कर सकते है ।
19	सफाई कार्य में काम आने वाले समस्त साज सामान जैसे झाडू, शोचालयों के लिए नैपथलीन की गोलिया, फिनायल, डिटरजेन्ट, साबुन, सोडा, पोचा, जुट, बाल्टी, ट्रोली, कचरादान, फावडा, गेती इत्यादि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वंय अपने खर्चे पर उपलब्ध करानी होगी । पानी की कमी रहती है तो अध्यक्ष महाविद्यालय विकास समिति के निर्देशानुसार सफाई हेतु पानी की व्यवस्था स्वंय अपने खर्चे से करेगा एवं इस हेतु ठेकेदार को स्वीकृत राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नही होगी । शोचालय में या अन्य स्थानों पर कचरापात्र. उपलब्ध हो, जिसे सुबह शाम खाली करना होगा ।

20	इस गर्वमेन्ट कॉलेज किशनगढ़ के दोनों भवनों के सभी कमरों के समस्त चार दीवारी क्षेत्र की साफ सफाई बरामदा, पोर्च, परिसर, नये व पुराने भवन, छात्रसंघ भवन कैन्टीन, सभी लेट्रीन, बाथरूम, बरामदे, गलियारे, लेबोरेट्री, गर्वमेन्ट कॉलेज किशनगढ़ की चारदीवारी के अन्दर समस्त क्षेत्र में झाडू व सफाई, फलाई का कार्य की व्यवस्था ठेके पर की जानी है। तथा भविष्य में बनने वाले भवन आदि की भी सफाई व्यवस्था इसी दरों में की जानी होगी व परिसरों के अन्दर के सभी भवनों की छत की भी सफाई व्यवस्था की जानी होगी एवं महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समय–समय पर आवंटित अन्य सफाई कार्य ।			
21	क्र. सं.	सफाई कार्य	स्थान	समय
	1	प्रतिदिन 2 समय सफाई कर कूड़े को कॉलेज केम्पस से बाहर उचित स्थान पर डालने का कार्य	समस्त चारदीवारी क्षेत्र की साफ सफाई नये पुराने भवन, बरामदा, पोर्च, समस्त परिसर, नये व पुराने भवन की सीढीयां, सभी लेट्रीन बाथरूम, बरामदे, गलियार, लेबोरेट्री, गर्वमेन्ट कॉलेज किशनगढ़ की चारदीवारी परिसर अंदर बाहर चारीदीवारी क्षेत्र, छात्रसंघ कार्यालय, कैन्टीन	7 से 9 प्रातःकाल से 3 से 5 प्रतिदिन
	2	प्रतिदिन उचित फिनाईल की मात्रा से वाईपर पोचा लगाने का कार्य	नये व पुराने भवन बरामदा, पोर्च (अंदर व बाहर) समस्त गलियारे समस्त पक्की फर्श जहां भी हो	प्रतिदिन 7 से 9 प्रातःकाल
	3	सफाई एवं धुलाई कार्य (साबुन/डिटरजेन्ट/एसिड द्वारा)	समस्त नये व पुराने भवन, बरामदा, पोर्च बिल्डिंग की खिड़कियों दरवाजों दीवारों व पंखें पर लगी मिट्टी व जालों को साफ करना व धुलाई करना तथा गलियारें की फर्श व ऑयल पेन्ट की दीवारों की टाईल्स की सफाई	प्रत्येक सप्ताह
	4	उचित मात्रा में फिनायल एवं एसिड से धुलाई कार्य	ठेके में शामिल महाविद्यालय के समस्त टॉयलेट एवं लेट्रीन	दिन में 02 बार फिनायल से तथा सप्ताह में एक बार एसिड से सफाई
	5	महाविद्यालय भवन की छत की सफाई	परिसर में स्थित सभी भवनों की छत की सफाई सप्ताह / माह में	माह में दो बार दिनांक 1 व दिनांक 15 को
	6	पानी की टंकियों की सफाई	पानी की टंकियों की सफाई नियमित करनी होगी	प्रत्येक माह की 1 तारीख को
22	समस्त परिसर क्षेत्र के अन्दर की नालियॉ, गटर और सेप्टिक टेंक की सिवरेज लाईन की सफाई करने का कार्य आवश्यकतानुसार प्रतिदिन करना होगा ।			
23	छत व खिडकियों की सफाई 15 दिवस में व टंकियों की सफाई 30 दिन में करनी होगी ।			
24	ठेकेदार को आवंटित ऐरिया में वर्षा या अन्य कारणों से पानी भरने पर उसे साफ करना होगा ।			
25	ठेकेदार को महाविद्यालय परिसर में आवारा पशुओं, कुत्तों एवं सुअरों के प्रवेश को रोकना व अन्दर जाने पर उन्हें तुरन्त बाहर करने का कार्य करना होगा ।			
26	महाविद्यालय परिसर में स्थित लेट्रीन, बाथरूम व टायलेट को दिन में दो बार फिनायल से सफाई करना, दीवारों के जाले व दरवाजों की प्रतिदिन सफाई करना एवं टायलेट में प्रर्याप्त नेपथलिन की गोलिया रखना होगा । ठेकेदार को प्रतिदिन सांय 5.00 बजे तक सफाई व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करने होगें ।			
27	सुरक्षा की दृष्टि से ठेकेदार द्वारा रखे गये कर्मचारियों के नाम व पते इस कार्यालय को देने होगें एवं किसी कर्मचारी के स्थान पर अन्य कर्मचारी लगाने पर उसकी सूचना अविलम्ब देनी होगी एवं प्रत्येक कार्यरत कर्मचारी की फोटोयुक्त पहचान पत्र सहित सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र कार्य समय में प्रदर्शित करना होगा ।			
28	ठेकेदार को प्रत्येक दिन सफाई हेतु प्रभारी अधिकारी, सफाई व्यवस्था द्वारा बताये गये अनुसार एक रजिस्टर / रिकार्ड संधारण करना होगा एवं उस पर प्रत्येक दिन सफाई करने के पश्चात् प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर कराया जाना आवश्यक होगा । इस रजिस्टर की जांच बिल पारित करते समय की जा सकेगी । अतः इस रिकार्ड को सदैव सुरक्षित रखना होगा । दिनांकवार कार्य प्रमाणित होने पर ही भुगतान किया जायेगा ।			
29	महाविद्यालय परिसर की काटेदार व बिना काटेदार झाडियों को खोदकर निकालना होगा तथा झाडियों या परिसर में कोई जानवर मरा हुआ हो तो उसे पास के कचरा डिपों जो नगर परिषद का हो या नगर परिषद द्वारा निर्धारित स्थान, वहाँ तक अपने खर्चे व साधन से पहुचाना होगा ।			

30	उपरोक्त शर्तो में से किसी की भी पालना नही होने पर प्रशासन द्वारा ठेकेदार के बिल से निम्नानुसार कटौती की जा सकेगी जिसकी अपील राज्य सरकार या कार्यालय में कही भी नही की जा सकेगी । अध्यक्ष, महाविद्यालय विकास समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

कं. सं.	विवरण	कटौती का विवरण
1	किसी भी एक स्थान या बरामदे में झाडू पोचा नही लगाने पर	उस दिन की ठेका राशि का 10 प्रतिशत
2	किसी भी एक टायलेट की धुलाई नही करने पर	उस दिन की ठेका राशि का 10 प्रतिशत
3	फिनायल का प्रयोग नही करने पर	उस दिन की ठेका राशि का 10 प्रतिशत
4	प्रतिदिन का कार्य समय पर नही होने पर	उस दिन की ठेका राशि का 10 प्रतिशत
5	धुलाई/पंखे/छत या सिढी आदि का कार्य नही होने पर	सप्ताह के उस दिवस का 10 प्रतिशत
6	थूकदान/पीकदान आवारा पशुओं को बाहर करने का कार्य नही करने पर	सप्ताह के उस दिवस का 05 प्रतिशत
7	प्रति सप्ताह सफाई कार्य एवं धुलाई नही होने पर	सप्ताह के उस दिवस का 20 प्रतिशत

31	उक्त कटोतियों के अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा कोई सफाई कार्य नियम एवं शर्तोनुसार नही करने पर प्रभारी अधिकारी अपने विवेकानुसार कमियों से अवगत करायेगें । सफाई प्रभारी द्वारा बिल सत्यापित करते समय बिल में उल्लघंन दिवसों की कटोतियों का विवरण अंकित करना होगा कटौती राशि पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष, महाविद्यालय विकास समिति का होगा ।
32	कार्य आदेश मिलने के बाद ठेकेदार को निर्धारित तिथि से कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा उसकी अमानत राशि /प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी ।
33	ठेकेदार को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के श्रम नियमों की पालना करनी होगी जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होगा । श्रम विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी भी स्वंय ठेकेदार की होगी ।
34	महाविद्यालय भवन एवं परिसर की सफाई का कूडा करकट एवं अन्य गंदगी परिसर के बाहर उचित स्थान पर पहुचाने की व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी होगी ।
35	यदि ठेकेदार के कर्मचार कार्य करने के दौरान महाविद्यालय की किसी चल अथवा अचल सम्पति को नुकसान पहुचाते है तो उसकी वसूली ठेकेदार के बिल/प्रतिभूति/बैक गारन्टी में से की जायेगी ।
36	उपरोक्त सभी कार्य संबंधित शर्त तथा समय समय पर निर्देशानुसार कार्य बिना किसी रोक टोक के व हिचकिचाहट के प्रशासन की संतुष्टि तक सम्पादित करना होगा ।
37	उपरोक्त शर्तो के अलावा सफाई विवरण में अंकित सभी शर्तो का पूर्ण रूप से पालन करना होगा ठेकेदार द्वारा अंकित कोई भी शर्त मान्य नही होगी व टेण्डर निरस्त किया जा सकेगा ।
39	उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त में शिथिलता देने या हटाने या नई शर्त जोडने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, महाविद्यालय विकास समिति को होगा ।
40	प्राप्त न्यूनतम दर पर ठेका छोडने या नही छोडने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, महाविद्यालय विकास समिति को होगा ।
41	महाविद्यालय से कय किया हुआ निविदा फार्म ही मान्य होगा । निविदा फार्म की छाया प्रति स्वीकार नही की जायेगी ।
42	विशिष्ठ परिस्थितियों में महाविद्यालय में पानी की कमी होने पर सफाई एवं धुलाई कार्य हेतु ठेकेदार को पानी की समुचित व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी जिसका पूर्ण व्यय ठेकेदार को ही करना होगा इसके अलग से राशि देय नही होगी ।
43	सफाई सामग्री में किसी भी प्रकार की मिलावट व अमानक कोटी पायी गयी तो सामग्री तुरन्त जब्त कर ली जायेगी तथा कोई राशि देय नही होगी ।
44	राज्य सरकार द्वारा इस बाबत कोई केन्द्रीयकृत निर्णय लिया जाता है तो उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी एवं ठेका निरस्त किया जा सकेगा ।

उपरोक्त सफाई कार्य का विवरण एवं शर्ते मेरे द्वारा पढ ली गई है एवं समझ ली गई है तथा इन शर्तो से में पावन्द रहूगा ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर
नाम पूर्ण पता सहित
दिनांकः—

राजकीय महाविद्यालय विकास समिति (पंजीकृत) श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ

सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराकर सफाई का कार्य कराने हेतु प्रपत्र ब वित्तीय बिड

सेवा प्रदाताओं के माध्यम से 05 सफाईकर्मी लेने हेतु

01	आवेदक का पूरा नाम	
02	पता एवं मोबाइल नम्बर	
03	ईमेल आई.डी	

आवेदक द्वारा दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी :—

क.सं.	कार्य का विवरण	कार्य हेतु आवश्यक मानव संशाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रति व्यक्ति	सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF @13%	ESI @3-25%	सेवा पदाता का सर्वस जार्च राशि प्रति व्यक्ति प्रति माह	Total GST (COST + SGST) =18%	कुल राशि प्रति व्यक्ति प्रति माह Colm No. 5+6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सफाईकर्मी प्रतिदिन प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक	अकुशल कर्मी 05	259x26= 6734						
		कुल राशि प्रति माह प्रति व्यक्ति शब्दों में							

1. नोट :— निविदा प्रपत्र 200/— रूपये नगद भुगतान कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा **https://hte.rajasthan.gov.in/college/gckishangarh/** पर भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है जिसके साथ 200/— रूपये का बैंकर चेक/डी.डी. संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. निविदा प्रपत्र एव प्रतिभूति राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय विकास समिति, किशनगढ के पक्ष में किशनगढ़ में देय बनाना होगा। जिसे तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 30.05.2023 को दोपहर 3:00 बजे तक जमा कराना होगा।
3. निविदायें तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा वित्तिय बोली प्रपत्र अलग—अलग लिफाफे में बन्द कर दोनो लिफाफे पर नामांकन (तकनीकी निविदा प्रपत्र या वितीय निविदा प्रपत्र) कर एक बडे लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत की जायेगी। जिन फर्मों की तकनीकि एवं वाणिज्यिक निविदा अलग—अलग लिफाफों में प्रेषित नहीं की जायेगी उनकी निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
4. तकनीकी — वाणिज्यक/ क्वालिफाईड बिड दिनांक 31.05.2023 को दोपहर 1.00 बजे राजकीय महाविद्यालय किशनगढ में उपस्थित बोली दाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी व तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता की वितीय बोली उसी तिथि को तुरन्त पश्चात् खोली जायेगी।
5. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार पूर्णरूपेण सुरक्षित है।

अध्यक्ष
महाविद्यालय विकास समिति
राजकीय महाविद्यालय किशनगढ